संख्या-683जेएल/22-3-2024-ई-1878794

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17-12-2024

विषयः- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-37332/सामा-1(5)/59/बंदी स्था0/2024, दिनांक 09-12-2024 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/ पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम जहां बंदी स्थानान्तरित किया जाता है
1	2	3	4
1-	कासिम उर्फ भिण्डी पुत्र श्री शाहिद (यू0टी0 नं0-2952/23)	जिला कारागार, बिजनौर	जिला कारागार, हमीरपुर
2-	लोकेश पुत्र श्री कुन्दनलाल (यू0टी0 नं0-4767/23)	जिला कारागार, बिजनौर	जिला कारागार, सीतापुर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर/हमीरपुर/सीतापुर।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर/हमीरपुर/सीतापुर।

6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर/हमीरपुर/सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बंदियों के स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in